न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
60 / 2020	5.10.2020	28-5-2025

1. गजराज पुत्र मोहरसिंह
2. बरणवाई पुत्री मोहरसिंह
3. वी0पी0सिंह पुत्र मोहरसिंह
4. सन्तो पत्नि गजराज

जाति गुर्जर निवासी मोतीपुरा हाल निवासी अरनिया तहसील गंगापुर सिटी

—प्रार्थीगण

बनाम

1. दरबसिंह पुत्र सुबुद्धी, गुर्जर निवासी मोतीपुरा तहसील गंगापुर सिटी
2. फतेहसिंह पुत्र सुबुद्धी, गुर्जर निवासी मोतीपुरा तहसील गंगापुर सिटी —अप्रार्थीगण
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री बृजनन्दन दीक्षित, एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से
श्री भानु कुमार सिंघल, एडवोकेट, अप्रार्थी सं0 1, 2 की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 15 रकबा 0.44 है0 का साबिक ख0नं0 7 रकबा 3 बीघा 4 विस्वा रहा है। साबिक ख0नं0 7 रकबा 3 बीघा 4 विस्वा की खातेदारी जमाबंदी सं0 2019 एवं सं0 2023 लगायत 2026 प्रार्थीगण के बाबा मिश्रीलाल पुत्र मलखण्डी के नाम रही है। मिश्रीलाल के 4 पुत्र हरिफल, रामधन, फूलसिंह व मोहरसिंह रहे हैं। मिश्रीलाल की मृत्यु के बाद उक्त भूमि की खातेदारी उक्त चारो पुत्रों के नाम दर्ज हुई जो सम्बत् 2062 की जमाबंदी में दर्ज है। तत्पश्चात् हरिफल, रामधन, फूलसिंह द्वारा उनके हिस्से की भूमि का बेचान प्रार्थीगण के हक में निम्न प्रकार किया है—

हरिफल पुत्र मिश्रीलाल द्वारा उसका हिस्सा 1/4 सन्तो देवी पत्नि गजराज प्रार्थिया सं0 4 को दि0 15.11.2011 को ज़रिए रजिस्ट्री वयनामा किया गया। इसी प्रकार फूलसिंह व रामधन द्वारा उनका हिस्सा मोहरसिंह को दि0 9.1.2012 को जरिए रजिस्ट्री वयनामा विक्रय किया। मोहरसिंह की मृत्यु के बाद प्रार्थी सं0 1 लगायत 3 के नाम वर्तमान जमाबंदी में इन्द्राज किया गया। इस प्रकार वर्तमान भूमि ख0नं0 15 मुताबिक [illegible] क्षेत्रफल रकबा 0.69 है0 बनाया गया जिसमें से मोहरसिंह द्वारा अपना [illegible] ख0नं0 15 में से 25 एयर भूमि मुस0 प्रेमदेवी पत्नि मानसिंह निवासी [illegible] को विक्रय करने के बाद शेष भूमि 0.44 है0 प्रार्थीगण की खातेदारी में रही [illegible]सका इन्द्राज क[illegible]मान जमाबंदी में दर्ज है। दौराने भू—प्रबन्ध प्रार्थीगण के आराजी साबिक ख0नं0 7

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.15 11:03:24 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा के वर्तमान पैमाइश के अनुसार 80 एयर रकबा बनता है जिसे वर्तमान ख0नं0 15 रकबा 0.69 है0 ही बनाकर दर्ज किया गया और 0.11 है0 भूमि कम कर दी गई। उक्त 0.11 है0 भूमि का नवीन ख0नं0 13 रकबा 0.13 है0 बनाते हुए उक्त भूमि अप्रार्थी सं0 1 व 2 दरबसिंह व फतेहसिंह के पिता सुबुद्धी के नाम दौराने भू-प्रबन्ध इन्द्राज किया गया। जबकि उक्त भूमि खण्ड पर कब्जा काश्त पैत्रक समय से ही अब तक प्रार्थीगण का लगातार चला आ रहा है। सुबुद्धी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि खण्ड ख0नं0 13 अप्रार्थी सं0 1 व 2 दरबसिंह व फतेहसिंह के नाम दर्ज किया गया। फतेहसिंह व दरबसिंह द्वारा उक्त भूमि का विभाजन के द्वारा अलग खातेदारी दर्ज करवाई गई जिसमें फतेहसिंह का ख0नं0 530/13 रकबा 0.07 है0 व दरबसिंह, ख0नं0 13 रकबा 0.06 है0 दर्ज कर इन्द्राज किया गया जो वर्तमान जमाबंदी में दर्ज है। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि का साबिका ख0नं0 7 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि के मुताबिक वर्तमान ख0नं0 15 रकबा 0.69 है0 व ख0नं0 13 रकबा 0.13 है0 बनाया जिन्हें प्रार्थीगण के पिता मोहरसिंह की खातेदारी में दर्ज किया जाना चाहिए था परन्तु भू-प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों द्वारा ख0नं0 13 को विधि विरूद्ध तरीके से अप्रार्थी सं0 1 व 2 दरबसिंह व फतेहसिंह के पिता सुबुद्धी के नाम गलत दर्ज कर दिया गया तथा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि का रकबा कम दर्ज कर दिया जो कम कर अप्रार्थी सं0 1 व 2 के पिता सुबुद्धी के नाम इन्द्राज करने का भू-प्रबन्ध अधिकारियों को बिना सक्षम न्यायालय के डिक्री या आदेश के करने का कोई भी वैधानिक अधिकार है। प्रार्थी सं0 1 ता 3 के पिता मोहरसिंह व प्रार्थी सं0 4 के ससुर मोहरसिंह द्वारा भूमि ख0नं0 15 में से 25 एयर भूमि प्रेमदेवी पत्नि मानसिंह को विक्रय करने के बाद 0.44 है0 ख0नं0 15 तथा ख0नं0 13 की 0.13 है0 भूमि कुल रकबा 0.53 है0 उक्त भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। अप्रार्थीगण के साबिक ख0नं0 5 रकबा 14 बीघा जो अप्रार्थी सं0 1 व 2 के बाबा बंशी पुत्र देवपाल के नाम सं0 2019 में इन्द्राज रही है। बंशी की मृत्यु के बाद भूमि एकीकरण सं0 2039 मेंउनके पु[illegible] के नाम इन्द्राज हुआ। तत्पश्चात् सुबुद्धी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि अप्रार्थी [illegible] 1 [illegible] 2 के नाम इन्द्राज किया गया। उक्त भूमि खण्डों के वर्तमा[illegible] है0, ख0नं0 8 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 9 रकबा 0.95 है0, ख0नं0 10 रकबा 0.25 है0, ख0नं0 11 रकबा 1.95 है0 कुल रकबा 3.50 है0 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल बनाए गए जो साबिका भूमि ख0नं0 5 रकबा 14 बीघा के बराबर है। इस प्रकार ख0नं0 13

उप जिला कलेक्टर
नगापुर सिटी (स0मा0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.15 11:03:24 IST
Reason: SelfAttested

का इन्द्राज अप्रार्थी सं0 1 व 2 के पिता सुबुद्धी के नाम भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा गलत अंकित किया गया जो प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है, जो काबिले दुरूस्ती है उक्त भूमि ख0नं0 13 रकबा 0.06 है0 एवं ख0नं0 530/13 रकबा 0.07 है0 अप्रार्थी सं0 1 व 2 की खातेदारी से हजफ किया जाकर प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में घोषित कर दुरूस्ती किए जाने योग्य है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, खसरा गिरदावरी व अक्स इत्यादि में भी दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर विवादित आराजी ख0नं0 13 रकबा 0.07 है0 व ख0नं0 530/13 रकबा 0.06 है0 ग्राम मोतीपुरा को किसी अन्य को रहन वय करने पर उतारू है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे ताफैसला दावा प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 13 रकबा 0.06 है0 एवं ख0नं0 530/13 रकबा 0.07 है0 के कब्जे काश्त में प्रार्थीगण को किसी तरह की मजाहमत ना तो स्वयं पैदा करे न किसी अन्य से करावे तथा उक्त भूमि खण्डो को किसी अन्य को रहन वय नहीं करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1, 2 ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय काउन्टर टी0आई0 में अंकित किया है कि साबिक ख0नं0 7 का 11 एयर रकबा नवीन ख0नं0 13 में लगाते हुए ख0नं0 13 रकबा 0.13 है0 को अप्रार्थी सं0 1 व 2 के पिता सुबुद्धी के नाम लगाने का तथ्य सरासर गलत है। भूमि हाल ख0नं0 13 से प्रार्थीगण का किसी तरह का कोई सम्बन्ध व वास्ता नहीं है। प्रार्थीगण का यह कहना भी गलत है कि भूमि ख0नं0 13 पर कब्जा काश्त पैत्रक समय से प्रार्थीगण का लगातार चला आ रहा है। अप्रार्थीगण के पिता सुबुद्धी की मृत्यु के बाद ख0नं0 13 के राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण का नाम सही प्रकार से दर्ज किया गया है। उक्त भूमि का विभाजन भी सही प्रकार से हुआ है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रार्थीगण की भूमि साबिक ख0नं0 7 रकबा 3 बीघा 4 विस्वा के कोई हाल ख0नं0 13 दर्ज नहीं किया गया है। जब हाल ख0नं0 13 रकबा 0.13 है0 स्थित ग्राम मोतीपुरा की भूमि से प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध ही नहीं है तो उक्त भूमि प्रार्थीगण अथवा प्रार्थीगण के पिता की खातेदारी में दर्ज किए जाने का कोई प्रश्न नहीं है। हाल ख0नं0 13 सही प्रकार से अप्रार्थी सं0 1 व 2 के पिता के दर्ज किया गया था। अप्रार्थी सं0 1, 2के नाम अथवा उनके पिता के नाम प्रार्थीगण की कोई भूमि दर्ज नहीं है। प्रार्थीगण ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.15 11:03:24 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

गलत तथ्य लिखते हुए उक्त गलत दावा रिकार्ड का पूर्ण अवलोकन किए बिना गलत तरीके से दर्ज किया है। साबिक ख0नं0 5 रकबा 14 बीघा अप्रार्थीगण के बाबा बंशी की खातेदारी में रहा होना और उक्त बंशी की मृत्यु के बाद बंशी के एकमात्र पुत्र सुखुडी की खातेदारी में होना स्वीकार है मगर यह गलत है कि हाल सेटिलमेंट में उक्त भूमि के इस मद में लिखे खसरा नम्बरान नवीन नम्बर के रूप में बनाए गए हैं बल्कि हाल सेटलमेंट में बने मिलान क्षेत्रफल के अनुसार अप्रार्थीगण की आराजी साबिक ख0नं0 5 रकबा 14 बीघा के नवीन ख0नं0 7 रकबा 0.34 है0, ख0नं0 8 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 10 रकबा 0.25 है0, ख0नं0 11 रकबा 1.95 है0, ख0नं0 13 रकबा 0.13 है0 बने हैं तथा शेष 0.82 है0 रकबा साबिक ख0नं0 6 की 0.13 है0 भूमि के साथ शामिल करते हुए नवीन ख0नं0 9 रकबा 0.95 है0 का बनाया है। इस तरह हाल ख0नं0 13 रकबा 0.13 है0 अप्रार्थीगण की ही भूमि साबिक ख0नं0 5 से बनाया गया नम्बर है। इससे प्रार्थीगण का आज तक किसी तरह कोई सरोकार नहीं रहा है मगर प्रार्थीगण की नियत खराब है और उन्होंने गलत तथ्य लिखते हुए उक्त गलत दावा पेश किया है। हाल ख0नं0 13 का अप्रार्थी सं0 1 व 2 के मध्य विभाजन होने पर जो वर्तमान ख0नं0 13 रकबा 0.06 है0 व ख0नं0 530/13 रकबा 0.07 है0 का बनाकर अप्रार्थी सं0 1 व 2 की खातेदारी में लगाया है वह बिल्कुल सही है। उक्त खसरा नम्बर की आराजी से अप्रार्थीगण का नाम हजफ किए जाने का अथवा प्रार्थीगण को उक्त खसरा नम्बरान की आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने का कोई आधार नहीं है ना ही उक्त आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किए जाने की कोई आवश्यकता है। काउन्टर टी0आई0 में अप्रार्थीगण ने अंकित किया है कि साबिक ख0नं0 5 रकबा 14 बीघा अप्रार्थी सं0 1 व 2 के बाबा बंशी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी थी। अप्रार्थी सं0 1 व 2 के बाबा बंशी की मृत्यु के बाद उक्त आराजी अप्रार्थीगण के पिता सुखुडी के नाम खातेदारी में दर्ज हो गई तथा वर्तमान में अप्रार्थी सं0 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। साबिक ख0नं0 5 रकबा 14 बीघा का हाल सेटिलमेंट में नवीन ख0नं0 7 रकबा 0.34 है0, ख0नं0 8 रकबा 1.01 है0, ख0नं0 10 रकबा 0.25 है0, ख0नं0 11 रकबा 1.95 है0, ख0नं0 13 रकबा 0.13 है0 तथा [illegible] 9 रकबा 0.95 है0 बना है। इस ख0नं0 9 में साबिक ख0नं0 [illegible] में शामिल किया गया है जो उक्त आराजियात के [illegible] को देखने से स्पष्ट प्रमाणित है। प्रार्थीगण की आराजी साबिक ख0नं0 7 के बने नवीन ख0नं0 15 व अप्रार्थीगण की आराजी हाल ख0नं0 13 शुरू से जलोड भूमि रही है। इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.15 11:03:24 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

कारण हाल ख0नं0 13 में पिछले कई वर्षों से काश्त नहीं हुई है। इस ख0नं0 13 में भरे हुए पानी से अप्रार्थीगण अपने शेष खेतों की सिंचाई करते रहे हैं। पिछले करीब 4 वर्ष से हाल ख0नं0 13 व 15 की भूमि खाली हो गई है। प्रार्थीगण की नियत यह है कि वे हाल ख0नं0 13 की भूमि पर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लें। इस उद्देश्य से गलत तथ्य लिखकर गलत दावा व प्रार्थना पत्र टी0आई0 पेश किया गया है। प्रार्थीगण इस गलत दावे की आड में अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी ख0नं0 13 रकबा 0.13 है0 जिसके वर्तमान में दोनों अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 के मध्य हुए विभाजन के अनुसार हाल ख0नं0 13 रकबा 0.06 है0 व ख0नं0 530/13 रकबा 0.07 है0 बने हैं के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग अप्रार्थी सं0 1 व 2 में मजाहमत पैदा करने को आमादा है तथा उक्त आराजियात की मौके की स्थिति जबरन बदलने पर उतारू है। प्रार्थीगण अपनी बेजा हरकतों से तब तक बाज नहीं आवेंगे जब तक कि उन्हें जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद नहीं फरमा दिया जावेगा। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर टी0आई0 पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र टी0आई0 प्रार्थीगण गलत तथ्यों पर आधारित होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावे तथा अप्रार्थी सं0 1 व 2 की काउन्टर टी0आई0 वहक अप्रार्थी सं0 1 व 2 विरूद्ध प्रार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर प्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे अप्रार्थी सं0 1 व 2 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 13 रकबा 0.13 है0 स्थित ग्राम मोतीपुरा जिसके कि अप्रार्थी सं0 1 व 2 के मध्य हुए बंटवारे के अनुसार वर्तमान ख0नं0 13 रकबा 0.06 है0 व ख0नं0 530/13 रकबा 0.07 है0 बने हैं, के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त अप्रार्थी सं0 1 व 2 में किसी प्रकार की कोई मजाहमत ना तो स्वयं पैदा करे ना किसी अन्य से करावें तथा ऐसा भी कोई कार्य नहीं करे जिससे उक्त आराजियात के उपयोग उपभोग अप्रार्थी सं0 1 व 2 में किसी प्रकार की कोई मजाहमत पैदा हो।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थीगण ने फोटोकोपी नकल हाल नक्शा ट्रेस, फोटोकोपी नकल साबिक नक्शा ट्रेस, फोटोकोपी नकल खतौनी एकीकरण सं0 2019, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 75, 61, 134, 42, 133, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2038, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2065, फोटोकोपी नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध, फोटोकोपी विक्रयपत्र दिनांक 9.1.2012, दिनांक 15.11.2011 प्रस्तुत किए हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.15 11:03:24 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

अप्रार्थी न0 1, 2 ने अपने जबाब मय काउन्टर क्लेम के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि विवादित आराजी ख0नं0 13 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 530/13 रकबा 0.06 है0 ग्राम मोतीपुरा का इन्द्राज खातेदारी गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम भूप्रबन्ध विभाग द्वारा किया गया है एवं इस गलत इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 इस भूमि के कब्जे काश्त में प्रार्थीगण को बाधा उत्पन्न करते है तथा भूमि को रहन, वय करने को उतारू हैं। भूमि साबिक ख0न0 5 रकबा 14 बीघा अप्रार्थीगण के बाबा बंशी के नाम दर्ज रही है एवं बंशी के बाद अप्रार्थीगण के पिता सुबुद्धि के नाम दर्ज हो गई एवं सुबुद्धि के पश्चात अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हो गई। भूप्रबन्ध के दौरान इसका नवीन नम्बर 07 रकबा 0.34 है0, 08 रकबा 0.01 है0, 09 रकबा 0.95 है0, 10 रकबा 0.25 है0, 11 रकबा 1.95 है0 कुल रकबा 3.50 है0 बनाये गये है जो साबिक रकबा 14 बीघा के बराबर होता है। इसके बाद भी वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम भूप्रबन्ध विभाग द्वारा दर्ज कर दी गई है जिसे दर्ज करने का अधिकार भूप्रबन्ध विभाग को नही था, भूप्रबन्ध विभाग को पूर्व प्रविष्ठियों के अनुसार ही इन्द्राज करने चाहिए थे। इस सम्बन्ध मे वकील प्रार्थीगण ने न्याय दृष्टान्त आर.आर.टी. 2015(2) पृष्ठ 1214 प्रस्तुत करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषकगण ने अपनी बहस में कहा है कि वादग्रस्त भूमि उनके बाबा बंशी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी रही है जो बाद में अप्रार्थीगण के पिता सुबुद्धी के नाम खातेदारी में दर्ज हो गई तथा वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है। भू–प्रबन्ध के दौरान वादग्रस्त साबिक अभिलेख के अनुसार सही प्रकार से अप्रार्थीगण के नाम दर्ज की गई है। हाल ख0नं0 13 शुरू से जलोड भूमि रही है इस कारण इस पर पिछले कई वर्षो से काश्त नहीं हुई है। इस नम्बर में भरे हुए पानी से अप्रार्थीगण अपने खेतों की पिलाई करते रहे पिछले करीब 4 वर्ष से हाल ख0नं0 13 व 15 की भूमि खाली हो गई है एवं अप्रार्थीगण नाजायज रूप से ख0नं0 13 की भूमि पर अतिक्रमण करना चाहते इसलिए प्रार्थीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र व दावा प्रस्तुत किया है जो खारिज फरमाया जावे।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally Signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.15 11:03:29 IST
Reason: SelfAttested

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख के अनुसार वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम गलत रूप से दर्ज हुई है अथवा नही। इसका निर्धारण मूल वाद मे विस्तृत साक्ष्य व सबूतो के आधार पर किया जावेगा। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया भूमि पर कब्जा प्रमाणित नही हो रहा है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। जहॉ तक अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का प्रश्न है। वादग्रस्त भूमि उनके नाम दर्ज हुई है वह विवादित है। इसलिए वे काउन्टर क्लेम स्वीकृत कराने के अधिकारी नही है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम अस्वीकार किये जाकर खारिज किये जाते है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 28/5/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स0मा0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.15 11:03:24 IST
Reason: SelfAttested